निरीक्षण आख्या परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, हल्द्वानी, नैनीताल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग–प्रथम

कार्यालय, परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, हल्द्वानी, नैनीताल के अवधि 04/2014 से 03/2016 तक के अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरविन्द शर्मा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी एवं श्री विजय कुमार, वरि0 लेखा परीक्षक द्वारा श्री शशि कान्त पाण्डेय, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनॉक 21.09.2016 से 05.10.2016 के मध्य सम्पादित लेखापरीक्षा पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(अ) परिचयात्मक : इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री प्रितांशु कुमार श्रीवास्तव, लेखापरीक्षक एवं श्री रवि शंकर, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.09.2014 से 29.09.2014 तक श्री प्रेमचन्द्र, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पन्न की गयी थी। जिसमें माह 04/2011 से 03/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

वर्तमान में माह 04/2014 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

इस अवधि में निम्न अधिकारियों ने कार्यालयाध्यक्ष का पदभार संभाले रखा–

क0सं0	नाम	अवधि
1	श्री सुभाष चन्द्र	दि0 04/14 से 06/15
2	श्री मृदुला सिंह	दि0 06/15 से लगातार

(ब) विगत प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरः–

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन संख्या	भाग दो–अ	भाग दो–ब	**STAN**
27/2011–12	1	1, 2	–
101/2014–15	–	1, 2, 3	–

(ब) सतत् अनियमिततायें: – शून्य–

(स) अप्रस्तुत अभिलेख (कारण सहित): –शून्य–

(द) 2.बजटः –

(धनराशि ` में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (–)
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय		
2013–14	2.04	1423.549	103.271	103.221	1059.36	1063.332		2.12(स्थापना) 1419.577(गैर–स्थापना)
2014–15	2.12	1419.577	107.08	106.763	1425.59	1607.075		2.437(स्थापना) 1238.092(गैर–स्थापना)
2015–16	2.437	1238.092	103.592	87.746	1603.003	1836.395		18.283(स्थापना) 1004.70(गैर–स्थापना)

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1 : भूमि की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप निर्माण कार्य पर व्ययाधिक्य (Cost Overrun) ` 78.94 लाख।

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 340/(1)/2011/02 (140) XXVII (8)/11 दिनांक 20.05.11 के द्वारा वाणिज्य कर कार्यालय भवन, रामनगर के निर्माण हेतु प्रस्तुत प्राक्कलन ` 172.71 लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण धनराशि ` 154.21 लाख हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किस्त के रूप में 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई (Checque No.- 868001 दिनांक 05.07.11)।

निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि विवादग्रस्त होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। पुनः विभागीय प्रयासों के उपरान्त ग्राम करमपुर बहुवा, परगना भाबर चिल्किया, तहसील रामनगर में भूमि उपलब्ध होने पर अगस्त 2012 में निर्माण कार्य शुरू किया जा सका। इस दौरान SOR पुनरीक्षित (दिनांक 25.03. 2013 से लागू) होने के कारण विभाग द्वारा पुनरीक्षित आंकलन ` 239.48 लाख वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया जिसके सम्बन्ध में जारी शासनादेश 1012/2013/02 (140)/XXVII (8)/11 दिनांक 239.48 लाख के विरूद्ध ` 233.15 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई और वित्तीय वर्ष 2013–14 में ` 100.00 लाख दिनांक 28.11.2013 का आवंटन और चैक नं. 679621 दिनांक 22.01.14 के माध्यम से प्राप्त हुआ। शेष धनराशि ` 83.15 लाख मार्च 2015 में परियोजना प्रबंधक को प्राप्त हुई।

पुनरीक्षित प्राक्कलन से स्पष्ट है कि निधि की उपलब्धता सुनिश्चित होने की स्थिति में कार्य 24 महीने अर्थात् जुलाई 2013 तक पूर्ण हो जाना था। अर्थात् भूमि की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य पर व्ययाधिक्य ` 233.15–154.21=78.94 लाख हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर विभाग ने स्वीकार्यता प्रस्तुत की।

पुनः विभाग ने उक्त निर्माण कार्य को कराने हेतु तीन अनुबंध क्रमशः अनुबंध संख्या 04/महाप्रबंधक (कु.)/2012–13 (विभागीय लागत ` 128.52 लाख, निविदा 9.03 प्रतिशत कम अर्थात् 116.92 लाख, 9/PM/2014–15 (अनु. लागत ` 4450453.00) एवं 14/PM/2015–16 (अनु. लागत ` 2061216.00) किये गये।

क्योंकि प्रथम अनुबंध 04 / महाप्रबंधक (कु.) / 2012—13 विभागीय दरों से 9.03 प्रतिशत कम पर किये गये, तो ठेकेदार श्री लोकेश कठायत से Performance Security ली जानी अनिवार्यता थी। जिसके संबंध में विभाग ने उत्तर दिया कि (P.S.) शासन के पत्रांक 6447 / 111 (2) / 11—20 (सा.) / 11 दिनांक 02.02.13 लागू किये गये अनुबंध इससे पूर्व गठित किया जा चुका था।

उत्तर सम्प्रेक्षा में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रथमतया उक्त शासनादेश दिनांक 02.01.2013 को निर्गत हुआ और दिनांक 11.02.13 तक अनुबंध का गठन नहीं हुआ था। इस प्रकार ` 899640 Estimated Cost =

` 128.52 lakh

Contracted Cost = ` 116.92 lakh

$$P.S. = 5\% \text{ of Est. Cost} + 0.5 X 4 X \frac{\text{Est. Cost}}{100}$$

= 7% of Est. Cost

= 7% of 128.52 = 899640

की Performance Security नहीं लेने के कारण विभागीय प्रावधानों का उल्लघंन हुआ।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 2 : विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि के विवादित होने के कारण ` 59.373 लाख का उदासीन व्यय।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, हल्द्वानी के निर्माण अभिलेखों की जांच में पाया गया कि दो निर्माण कार्य (i) सोशल कम्पोनेंट प्लान भीमताल की चारदीवारी (स्वीकृत धनराशि = 69.070 लाख, व्यय = 58.614 लाख), (ii) राजकीय मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी कैन्टीन / केफेटेरिया का निर्माण प्रथम चरण (स्वीकृत–0.780 लाख, व्यय–0.759 लाख) पर कुल व्यय लेखापरीक्षा तिथि तक ` 59.373 लाख हुआ था। परन्तु भूमि की अनुपलब्धता / विवादित होने के कारण उक्त व्यय समयानुसार अपेक्षित उद्देश्यों को पाने में असफल रहा और लेखापरीक्षा तिथि तक उदासीन है।

विभागीय उत्तर में बताया गया कि सम्बन्धित भूमियों पर विवाद वर्तमान तक अनिस्तारित था।

उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य सम्बन्धी व्यय उचित होता है।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 ब

प्रस्तर 3 :– ` 23.09 लाख का अनियमित कार्य एवं ` 0.83 लाख की धनराशि को ग्राहक विभाग को वापस न किया जाना।

शासनादेश सं0 473 / आ0प्र0 / 2009 दि0 27.07.2009 द्वारा जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, नैनीताल के निर्माण हेतु ` 17.750 लाख की लागत से प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिस पर वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त दिनांक 01 जुलाई 2009 को ` 17.75 लाख की धनराशि इकाई को उपलब्ध करायी गयी। इसी अनुक्रम में उक्त परिचालन केन्द्र में आन्तरिक साज–सज्जा एवं सुदृढीकरण हेतु दिनांक 02.03.12 को जिलाधिकारी, नैनीताल के माध्यम से ` 6,16,650 की धनराशि उपलब्ध कराई गयी। उक्त ` 23.92 लाख (17.75+6.17) के निर्माण एवं साज–सज्जा का कार्य कई कार्यादेशों (दि0 22.01.11 से 17.03.11, दि0 24.03.11 से 14.08.11, दि0 02.11.11 से 25.12.11 दि0 24.03.11 से 15.03.12, दि0 25.12.11 से 17.03.12 एवं दि0 06.05.12 से 05.07.12) के आधार पर सम्पन्न किया गया। अभिलेखों की जांच में यह भी पाया गया कि दिनांक 24.12.12 को उक्त निर्माण कार्य की शेष राशि ` 57,037 एवं साज–सज्जा मद से बची अवशेष राशि ` 25,569 कुल ` 0.83 लाख इकाई के पास लम्बित पड़ी हुई है।

लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर में बताया कि विभाग में वर्ष 2009 में निविदा प्रक्रिया की बाध्यता नहीं थी एवं पेयजल निगम में डिपोजिट कार्य कार्यदेशों के माध्यम से कराये जाने की पद्धति थी। लम्बित धनराशि के सम्बन्ध में की गयी आपत्ति को स्वीकारते हुये बताया गया कि उक्त धनराशि को इस वित्तीय वर्ष में ग्राहक विभाग को वापस कर दिया जायेगा।

विभाग का उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि 01 मई 2008 को उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली लागू हो गयी थी जिसमें स्पष्ट निर्देशित किया गया था कि बिना निविदा/कार्यादेष के माध्यम से कार्य केवल आपात स्थिति में कराया जा सकता है, जिसके लिए समुचित कारण अभिलिखित किये जाने चाहिएं।

अतः ` 17.18 लाख + ` 5.91 लाख = ` 23.09 लाख के अनियमित कार्य एवं ` 0.83 (0.57+0.26) लाख की धनराशि को ग्राहक विभाग को वापस न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।?

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 4 : योजना पूर्ण होने के पश्चात् धनराशि ` 33.26 लाख के अवशेष वापस नहीं किया जाना।

सयुंक्त कृषि निदेशक, कुमाऊँ मण्डल, हल्द्वानी के पत्र संख्या : 437/सः कृ : नि :/2014–15 दिनांक 16.07.2014 के माध्यम से कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, निर्माण शाखा, हल्द्वानी के प्राक्कलन ` 36.40 लाख के सापेक्ष धनराशि ` 35.00 लाख भवन निर्माण हेतु बजट प्रावधान किया गया था। कार्यालय पेयजल निगम को कृषि विभाग द्वारा दिनांक 19.09.15 को ` 30.00 लाख एवं दिनांक 17.06.2016 को ` 5.23 लाख की धनराशि प्राप्त हुई थी। कार्यालय द्वारा धनराशि ` 27,90,535.00 का अनुबंध गठित किया गया जिसमें ठेकेदार के दो एवं अन्तिम देयक में कुल ` 24,57,448.00 का भुगतान किया गया था।

योजना की बैंक खाता सः पी.एन.बी. 1872000109150862 में दिनांक 14.09.2016 में अन्तिम अवशेष प्रविष्टियां ` 11,35,616.29 दर्शाता है जबकि रोकड़बही के जांच में देखा गया कि योजना के सेंटेंज मद में ` 2,72,730.00 का भुगतान शेष रह गया अर्थात् (11,35616.29–2,72,730.00)= ` 8,62,886.29 लाख की धनराशि लेखाबंदी कर ग्राहक विभाग को हस्तान्तरित नहीं किया गया। इस आपत्ति के सापेक्ष विभाग द्वारा सहमति ज्ञापन करते हुए बताया है कि ग्राहक विभाग द्वारा मौखिक रूप से अन्य कार्य कराने हेतु अनुरोध

किया है, अतः धनराशि का लेखाबंदी वर्तमान में सम्भव नहीं। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि उक्त निर्माण कार्य हेतु अनुबंध अनुसार कार्य पूर्ण हो चुका है एवं ठेकेदार को अन्तिम भुगतान किया जा चुका है।

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, निर्माण शाखा, हल्द्वानी के लेखापरीक्षा के दौरान निर्माण सम्बन्धी 10 योजनाओं की निर्माण पूर्ण होने के पश्चात भी ग्राहक विभाग की अवशेष धनराशि कुल ` 24,63,324.00 का वापस नहीं किया गया जोकि निम्नलिखित है–

क्र.सं.	**ग्राहक विभाग**	**कार्य का नाम**	**रोकड़बही दिनांक**	**रोकड़बही में शेष धनराशि**
1	पुलिस	पुलिस आवास (ऊधमसिंह नगर)	16.08.2016	4,06,801.00
2	पुलिस	12वां वित्त आयोग के अंतर्गत भवनों का निर्माण	05.07.2016	1,13,477.00
3	पुलिस	पुलिस रिर्पोटर सेंटर, नैनीताल	26.08.2016	33038.00
4	आई.टी.आई.	आई.टी.आई., ढोकाने	25.08.2015	4,64,334.00
5	स्वास्थ्य	रा.ए.चि., सूखा, घनखोरी, भवनों का निमा	01.06.2015	11,12,123.00
6	राजस्व	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र साज–सज्जा	06 / 2015	25,569.00
7	राजस्व	जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र, नैनीताल	04 / 2013	57,037.00
8	रेशम	राजकीय रेशम फार्म, ताखाड़, हल्द्वानी	05.04.2016	25,190.00
9	आयुर्वेदिक	रा.आयु. चिकि., पोखरी, नगोनिया	05.09.2016	161,189.00
10	माध्यमिक शिक्षा	राजकीय इण्टर कॉलेज, धनियाकोट	18.09.2015	64,566.00
				` 24,63,324.00

सम्प्रेक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि कार्यवाही प्रगति पर है। अतः इस प्रकरण को संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–तीन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान / निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, हल्द्वानी, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार / सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1 / 105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
सामाजिक क्षेत्र